दिनांक 26.07.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

निगम आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र के होटल, डेयरी, बेकरी, रेस्टोरेन्ट एवं खुले में बिक रहे बासी खाद्य सामाग्री जब्त कर 7500 दांडिक राशि वसुल की गई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री के एल चौहान ने बारिश के मौसम को देखते हुए सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत खुले में चिकन, मटन, मछली एवं बासी खाद्य सामाग्री के विक्रय कर व्यवसाय करने वाले लोगो पर पूर्ण रूप से रोक लगाने एवं प्रतिबंधित केरी बेग की जब्ती की कार्यवाही के साथ–साथ निगम एक्ट के अन्तर्गत दंडात्मक राशि वसूल कर निगम कोष में जमा किये जाने के आदेशानुसार निगम के स्वास्थ्य एवं राजस्व अमले के द्वारा जोन क्रं. 02 एवं 04 का आकस्मिक निरीक्षण कर 7500 रूपये की दंड राशि वसुल कर निगम कोष में जमा की गई।

निगम के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में वैशाली नगर एवं शिवाजी नगर कार्यालय के अंतर्गत होटल, डेयरी, बेकरी, रेस्टोरेन्ट सहित खुले में व्यवसाय कर रहे मटन, मछली, चिकन, एवं फल व्यवसायियों के स्थानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान न्यू जलाराम स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, कृपा जलपान गृह, कृष्णा डेयरी एवं स्वीट्स, मॉ दुर्गा डेयरी एण्ड रेस्टोरेन्ट, न्यू सिंह डेयरी छावनी चौक, नवनीत मिष्ठान एण्ड डेयरी फार्म, सत्यम् बेकरी, सुपर चिकन सेंटर सर्विस रोड खुर्सीपार के प्रतिष्ठानों में छापामार की कार्यवाही करते हुए बासी खाद्य पदार्थ मनचूरियन, पनीर, दही, कलाकन्द सहित अन्य मिठाई एवं पॉलीथिन, केरी बेग की जब्ती की कार्यवाही करते हुए इन प्रतिष्ठानों से कुल 7500 रूपये दंडिक शुल्क वसुल कर निगम कोष में जमा कराया गया, तथा संबंधित प्रतिष्ठानों के व्यवसायियों से जब्त की गई सामाग्री के आवेदन में हस्ताक्षर लिये गये।

जनसम्पर्क अधिकारी